भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न 248**
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

**विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावों के भुगतान में विलंब**
***248. कुमारी सैलजाः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान विशेषकर हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत दावों के भुगतान न होने या विलंब से भुगतान होने के संबंध में किसानों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत मुआवजे के भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कुल कितने किसानों ने बीमा लाभ प्राप्त किया है;
(घ) इस योजना के अंतर्गत फसल नुकसान के आकलन में सटीकता और पारदर्शिता लाने तथा भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) किसानों का विश्वास बहाल करने के लिए दावों का समय पर निपटान और बीमा कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)**

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावों के भुगतान में विलंब" विषय के संबंध में माननीय सांसद सुश्री कुमारी सैलजा द्वारा पूछे गए लोक सभा में दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 248 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में उल्लिखित विवरण**

(क) और (ख): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमा कंपनियों द्वारा अधिकांश दावों का निपटान योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित समय-सीमा अर्थात संबंधित राज्य सरकार से आवश्यक उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर, किया जाता है। हालांकि PMFBY के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के संबंध में पूर्व में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्य रूप से **(क) राज्य सरकार के हिस्से की सब्सिडी प्रदान करने में विलंब (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों के त्रुटिपूर्ण/विलंबित प्रस्तुतीकरण के कारण दावों का गैर-भुगतान/विलंबित भुगतान या कम भुगतान (ग) उपज आंकड़ों में विसंगति और परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि,** के कारण थीं। इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटान, योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के बाद किया जाता है।

चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित सभी प्रकार की शिकायतों के समाधान हेतु संशोधित प्रचालन दिशा-निर्देशों में **स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र** अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (DGRC) और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (SGRC) की व्यवस्था की गई है। जैसा कि प्रचालन दिशा-निर्देशों में उल्लेख किया गया है, इन समितियों को शिकायतों/समस्याओं पर सुनवाई करने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निस्तारण करने का विस्तृत अधिदेश दिया गया है।

शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक सुगम बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 जारी किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों/समस्याओं के समाधान के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।

KRPH पोर्टल पर जनवरी, 2024 से फ़रवरी 2026 तक प्राप्त PMFBY दावों से संबंधित शिकायतों/समस्याओं का हरियाणा सहित राज्य-वार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ग): पिछले तीन वर्ष अर्थात 2022-23 से 2024-25 तक PMFBY के अंतर्गत किसान आवेदन, भुगतान किए गए दावों की राशि और लाभान्वित किसान आवेदन की संख्या का विवरण पूरे भारत स्तर पर और हरियाणा में निम्नानुसार है:

| **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश** | **किसान आवेदन** | **भुगतान किए गए दावों की राशि** | **लाभान्वित किसान आवेदन की संख्या** |
|---|---|---|---|
| | (In No.) | (Rs. In Crore) | (In No.) |
| हरियाणा | 2,99,11,707 | 3,149.98 | 56,62,712 |
| आल इंडिया | 40,76,52,900 | 54,883.28 | 9,81,69,412 |

(घ) और (ङ): सरकार ने PMFBY के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने, पारदर्शिता लाने और दावों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- सरकार ने **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** के विकसित किया है, जो सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के सीधे ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसान के विवरण को अपलोड करने/प्राप्त करने सहित सेवाओं के वितरण और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने हेतु डेटा के सिंगल सोर्स के रूप में कार्य करेगा।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए खरीफ, 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजीक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक विशेष मॉड्यूल को प्रचालित किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान हो सके।
- खरीफ, 2024 से यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो NCIP के द्वारा स्वतः गणना करके 12% का जुर्माना लगाया जाता है।
- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले हिस्से से अलग कर दिया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।
- राज्य के हिस्से की सब्सिडी जारी करने में विलंब होने पर राज्य सरकार पर 12% का जुर्माना भी लगाया जाता है।
- वित्तीय अनुशासन लाने के लिए, योजना के प्रावधानों के अनुसार खरीफ सीजन, 2025 से संबंधित राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से अपने प्रीमियम हिस्से को जमा करने के लिए एस्क्रो खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, किसानों के दावों के समयबद्ध निपटान में सुधार लाने के लिए उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोगों (CCE) डेटा को **CCE-Agri ऐप** के माध्यम से एकत्र करना और उसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देना, राज्य भूमि अभिलेखों को NCIP के साथ एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।
- रबी 2024-25 से किस्त आधारित दावा निपटान शुरू कर दिया गया है।

फसल क्षति एवं नुकसान के वस्तुनिष्ठ आकलन और पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी वर्ष 2023-24 से इस योजना के तहत कार्यान्वित किया गया है:

- उपज आकलन तथा निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान में सहायता हेतु रिमोट सेंसिंग आधारित उपज आकलन की ओर क्रमिक रूप से अग्रसर होने के लिए **यस-टेक (यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नॉलजी)।** यह पहल खरीफ, 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज के आकलन में 30% भार अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ, 2024 से इसमें शामिल किया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान, यस-टेक को 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

- ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क से 5 गुना अधिक ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) और ऑटोमैटिक रेन-गेज (ARG) नेटवर्क स्थापित करने के लिए **विंड्स (वेदर इन्फर्मेशन नेटवर्क ऐंड डेटा सिस्टम)**। यह डेटा, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से एक राष्ट्रीय डेटाबेस में फीड किया जाएगा, जिसमें डेटा की इंटर-ऑपरेबिलिटी और साझाकरण की सुविधा होगी। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए डेटा प्रदान करता है, बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद प्रदान करने में भी सहायक है। अब तक 10 राज्यों ने विंड्स का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। वर्तमान में 12,000 से अधिक स्टेशनों से मौसम डेटा प्राप्त किया जा रहा है।

फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और स्टेकहोल्डर/अध्ययनों के सुझावों/अभ्यावेदनों/सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभव, विभिन्न स्टेकहोल्डर के विचारों और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को अधिक किसान-हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर PMFBY के प्रचालन दिशा-निर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत पात्र लाभ किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचें।

विभाग सभी स्टेकहोल्डर की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, प्रत्यक्ष बैठकों के साथ-साथ राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समयबद्ध निपटान सहित बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है।

**अनुबंध**

**PMFBY: KRPH पर जनवरी, 2024 से फ़रवरी 2026 तक भुगतान संबंधी शिकायतों का राज्य-वार विवरण**

| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | कुल दावा संबंधित शिकायत | समाधान किया गया | समाधान का प्रतिशत % |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 9,370 | 9,369 | 100.0% |
| असम | 2,956 | 2,952 | 99.9% |
| छत्तीसगढ़ | 5,217 | 5,214 | 99.9% |
| दिल्ली | 7 | 7 | 100.0% |
| **हरियाणा** | **41,526** | **41,309** | **99.5%** |
| हिमाचल प्रदेश | 620 | 620 | 100.0% |
| जम्मू और कश्मीर | 3,289 | 3,274 | 99.5% |
| झारखंड | 6,411 | 6,396 | 99.8% |
| कर्नाटक | 89 | 88 | 98.9% |
| केरल | 2,379 | 2,336 | 98.2% |
| मध्य प्रदेश | 61,320 | 61,189 | 99.8% |
| महाराष्ट्र | 14,81,331 | 14,81,141 | 100.0% |
| मणिपुर | 13 | 13 | 100.0% |
| मेघालय | 8 | 8 | 100.0% |
| ओडिशा | 29,885 | 29,838 | 99.8% |
| पुदुचेरी | 144 | 140 | 97.2% |
| राजस्थान | 2,71,708 | 2,69,329 | 99.1% |
| तमिलनाडु | 44,299 | 44,126 | 99.6% |
| तेलंगाना | 104 | 102 | 98.1% |
| त्रिपुरा | 20 | 20 | 100.0% |
| उत्तर प्रदेश | 54,261 | 54,045 | 99.6% |
| उत्तराखंड | 11,695 | 11,684 | 99.9% |
| पश्चिम बंगाल | 4 | 4 | 100.0% |
| **कुल** | **20,26,656** | **20,23,204** | **100%** |

*****